न्यायालय जिला कलक्टर, बीकानेर
बइजलास कुमार पाल गौतम, आई.ए.एस. जिला कलक्टर, बीकानेर

मुकदमा संख्या 03/19 ईसी एक्ट

मघराज पुत्र द्वारकादास हाटीला (मेघवाल) निवासी पाबूबारी के बाहर, बीकानेर

–अपीलान्ट

: ब ना म :

जिला रसद अधिकारी , बीकानेर

–रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 22 राजस्थान खाद्यान एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश,1976

उपस्थितिः–

1. अपीलान्ट के अधिवक्ता श्री मुकेश आचार्य उपस्थित।
2. जिला रसद अधिकारी, बीकानेर के विभागीय प्रतिनिधि उपस्थित।

: निर्णय :

दिनांक 15.10.19

1. अपीलान्ट द्वारा यह **अपील अन्तर्गत धारा 22 राजस्थान खाद्यान एवं आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश,1976** के तहत जांच रिपोर्ट दिनांक 01.05.18 एवं अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 24.07.18 से व्यथित होकर प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आदेश विधिक सिद्धान्तो के विपरित होने के कारण खारिज फरमाया जावे एवं प्रार्थी की उचित मूल्य की दुकान वार्ड नं. 10 बहाल किये जाने का आदेश फरमावे।

2. अपील पेश होने पर रेस्पोडेन्ट जिला रसद अधिकारी, बीकानेर को तलब किया गया एवं उनके कार्यालय की पत्रावली मंगवाई गई। रेस्पोडेन्ट की ओर से उनके विभागीय प्रतिनिधि उपस्थित हुए। उभयपक्ष की बहस सुनीं गई।

3. अपीलान्ट के अधिवक्ता ने मीमो ऑफ अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलाण्ट वार्ड नं. 10 बीकानेर शहर का उचित मूल्य दुकानदार है जिसका प्राधिकार पत्र सं. 279/80 जारी होने की दिनांक से बेदाग चला आ रहा है। प्रवर्तन निरीक्षकगण द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 01.05.18 के अनुसार दिनांक 14.04.18 को दुकान का निरीक्षण कर अनियमितताऐं दिखाते हुए दिनांक 03.05.18 को नोटिस दिया गया जिसका जवाब अपीलार्थी द्वारा दिनांक 22.05.18 को प्रस्तुत किया गया। राज्य सरकार के आदेशानुसार पॉश मशीन से ऑनलाईन वितरण व्यवस्था लागू है। प्रार्थी के पास स्टॉक रजिस्टर का संधारण उपलब्ध है। निरीक्षण के समय स्टॉक व मूल्य सूची का प्रदर्शित नहीं होना अवकाश के कारण नही किया गया। जिन उपभोक्ताओ को राशन नही देनाका आरोप लगाया गया है। उन सभी ने शपथ पत्र लिखकर दिया है कि हमें पूरा खाद्यान प्राप्त हुआ है। प्रार्थी अपीलाण्ट ने दिनांक 07.09.17 से लगातार प्रवर्तन निरीक्षक सरोज विश्नोई, देवाराम व कम्प्यूटर सूचना सहायको की शिकायत की गयी जिस पर जयपुर मुख्यालय खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा जांचदल गठित किया गया व कर्मचारियों को दोषी माना। विभाग की स्वीकृति के अनुसार ही दुकान का कार्यस्थल है। कर्मचारियों की शिकायत करने के कारण अपीलार्थी से व्यक्तिगत रंजिश होने के कारण विभाग नुकसान पहुंचाना चाहता है। अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर नही दिया गया । एकतरफा तौर पर 12.04.18 को आदेश जारी किये गये। अतः आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरित होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षम्य करते हुए अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर दुकान वार्ड नं. 10 बहक अपीलाण्ट बहाल किये जाने का आदेश फरमावे।

जिला कलक्टर, बीकानेर

4. इसके खण्डन में रेस्पोडेन्ट के विभागीय प्रतिनिधि की बहस है कि अपीलार्थी के विरूद्ध प्राप्त शिकायत के संबध में दिनांक 14.04.18 को निरीक्षण करने पर स्टॉक रजिस्टर का संधारण करना नहीं पाया गया ना ही स्टॉक एवं मूल्य प्रदर्शित कर रखा था। अपीलार्थी ने उपभोक्ताओ के राशनकार्ड पर कुल मिलाकर 85 किग्रा गेंहू एवं 128.17 लीटर केरासिन का पोश ट्रांजेक्शन किया गया किन्तु प्रविष्टि राशन कार्ड में नही की गयी। सामग्री के दुरूपयोग सम्बन्धित उपभोक्ताओ के बयान से प्रमाणित होता है। अपीलार्थी के भाई योगेश के नाम से प्रत्येक माह 2 राशनकार्डो पर राशन दिया गया है। उचित मूल्य दुकानदार की यह जिम्मेवारी है कि किसी उपभोक्ता का नाम दो राशनकार्ड में हो तो इसकी सूचना तत्काल जिला रसद अधिकारी को उपलब्ध करावे। अपीलार्थी ने उपभोक्ताओ को धोखा देते हुए अपनी पोश मशीन सं. 20411 के अलावा एक अन्य उचित मूल्य दुकानदार दिनेश गहलोत की पोश मशीन सं. 20406 पर अंगूठा लगाकर केरासिन का स्टॉक कम किया। दोनो पॉश मशीनो की ट्रांजेक्शन रिपोर्ट से यह तथ्य पूर्णतया सही पाया गया । पॉश मशीन 20411 एवं पाबूबारी सहकारी उपभोक्ता भंडार के नाम से जारी पॉश मशीन सं. 20413 का संचालन एक ही दुकान से हो रहा था पाबूबारी सहकारी उपभोक्ता भंडार का व्यवस्थापक अपीलार्थी का पुत्र है। अपीलार्थी द्वारा भैरूंपावा गांव के उपभोक्ता छोटूराम के राशनकार्ड पर 9.06.17 को 7.5 लीटर का पॉश ट्रांजेक्शन किया गया जो रिकार्ड से प्रमाणित है। विभागीय प्रतिनिधि की यह भी बहस है कि उचित मूल्य दुकानदार के विरूद्ध थाना कोटगेट में दिनांक 17.05.18 को प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 0150 दर्ज है। पुलिस थाना अन्वेषण अधिकारी की जांच उपरांत थाना कोटगेट द्वारा मघराज के विरूद्ध दिनांक 28.11.18 को सीजेएम कोर्ट बीकानेर में आरोप पत्र सं. 272 प्रस्तुत किया जा चुका है। आरोप पत्र में जुर्म धारा 420 भा.द.स. एवं 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत प्रमाणित पाया गया है। फिलहाल आरोपी जमानत मुचलका राशि जमा करवाने पर जमानत प्राप्त है एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष बहस हेतु अगली तारीख 28.11.19 तय है। अपीलार्थी ने राजस्थान खाद्यान एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 5,8,11,15 व 17 (ग) का उल्लंघन किया है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावे।

5. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। अपील प्रस्तुत करने मे हुए विलम्ब के संबध में अपीलार्थी द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील प्रस्तुत करने मे हुए विलम्ब को क्षम्य करते हुए अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है। विभागीय जांच दल की रिपोर्ट दिनाक 01.05.18 के आधार पर जिला रसद अधिकारी द्वारा प्राधिकार--पत्र निरस्त किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने उचित मूल्य दुकानदार पर लगाये गये आरोपो का राजस्थान खाद्यान एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के परिपेक्ष्य में मेरिट पर जाकर विवेचन नहीं किया गया है ना ही कतिपय उपभोक्ताओ द्वारा स्वप्रेरणा से प्रस्तुत शपथ पत्रो की व्याख्या की गई है। उचित मूल्य दुकानदार की जांच रिपोर्ट व स्वप्रेरणा से प्रस्तुत शपथ पत्रो पर सुनकर प्राधिकार--पत्र निरस्त करने के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय लिया जाना था तथा राजस्थान खाद्यान एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के परिपेक्ष्य में मेरिट पर जाकर विवेचन किया जाना चाहिए था। दौराने बहस विभागीय प्रतिनिधि द्वारा भी इस बिन्दु पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की गई।

6. उपरोक्त विवेचन के परिपेक्ष्य में प्रकरण इस निर्देश के साथ जिला रसद अधिकारी को रिमाण्ड किया जाता है किं अपीलार्थी/डीलर के विरूद्ध विचाराधीन जांच कार्यवाही में अपीलार्थी/डीलर को सुनवाई एवं साक्ष्य/सबूत का समुचित अवसर प्रदान करते हुए विधिसम्मत स्पीकिंग आदेश पारित करें। जिला रसद अधिकारी, बीकानेर को निर्णय की प्रति मय उनके यहां से प्राप्त मूल पत्रावली के साथ भिजवाई जावे। अपीलार्थी दिनांक 05.11.19 को जिला रसद कार्यालय में सुनवाई हेतु आवश्यक रूप से उपस्थित होवें। नियत तिथि को सुनवाई हेतु अपीलार्थी के उपस्थित नहीं होने पर जिला रसद अधिकारी विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु स्वतन्त्र होंगे।

7. निर्णय आज दिनांक **15.10.19** को हमारे द्वारा लिखाया जा कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर

(कुमार पाल गौतम)
जिला कलक्टर, बीकानेर
जिला कलक्टर, बीकानेर